विधान सभा ... प्रश्न क्र. ... ~~प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट~~ १० [27/3/2018]

परिशिष्ट 'तीन'

प्रश्न सं. [क्र. 5590]

कार्यालय जिला पचायत सतना (म0प्र0)

क्रमांक/ 8604/जिपं/शिक्षा/निलं./2017-18

सतना दिनांक :- 13/03/18

आदेश

श्री धनश्याम दास वर्मा प्र0 प्राचार्य (वरिष्ठ अध्यापक) शा0उ0मा0वि0 सिजहटा जिला सतना के विरुद्ध नियमों के विपरीत अतिथि शिक्षक वर्ग-1 के पद पर आमंत्रण/नियुक्ति एवं संकुल अन्तर्गत शा0मा0वि0 सिजहटा के अध्यापक श्री मेदनी सिंह जो कि गणित/विज्ञान विषय के है को आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के संलग्नीकरण पूर्णतः प्रतिबंधित होने के स्पष्ट आदेश के बावजूद कार्यालय में संलग्नीकरण कर रखा जाने की प्राप्त शिकायत की जाच कार्यालयीन पत्र क्र0/जि.पं./शिक्षा/2017/6390/दिनांक 25.11.2017 के द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त किया जाकर कराई गई । जाच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में श्री वर्मा प्रभारी प्राचार्य जिनका मूल पद वरिष्ठ अध्यापक है के विरूद्ध अतिथि शिक्षक का आमंत्रण किया जाकर उन्हें 36360/-(छत्तीस हजार तीन सौ साठ) रूपये राशि का भुगतान कराया जाना वसूली योग्य सहित दण्डनीय है व साथ ही श्री मेदनी सिंह को निरंतर संलग्न रखने व इससे हुये शैक्षणिक नुकसान तथा निष्फल वेतन भुगतान की वसूली भी संबंधीजनों से कराये जाने की अनुशंसा करते हुये उत्तरदायी ठहराया है । प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यालयीन पत्र क्र0 8266/जि.पं./शिक्षा/2017-18 दिनांक 26.02.2018 के द्वारा संबंधीजन को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर समयावधि में जवाब चाहा गया था जो श्री वर्मा द्वारा निर्धारित समयावधि/अद्य तक प्रस्तुत नहीं किया गया ।

इस प्रकार श्री वर्मा द्वारा अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन न किया जाकर शासकीय कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही व अनुशासनहीनता की गयी जो म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत का कृत्य परिलक्षित हुआ जिसके लिये संबंधीजन दोषी है ।

अतः श्री धनश्याम दास वर्मा प्र0 प्राचार्य (वरिष्ठ अध्यापक) शा0उ0मा0वि0 सिजहटा सतना द्वारा किये गये उपरोक्त कृत्यों के फलस्वरूप म0प्र0 सिविल सेवा आचरण नियम(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) 1966 के तहत संबंधीजन को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाकर निलंबन अवधि में मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी सोहावल जिला सतना नियत किया जाता है । संबंधीजन को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा ।

(अनूप कुमार सिंह)
आई.ए.एस.
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सतना (म.प्र)

पृ.क्रमांक/ 8604 /जिपं/शिक्षा/2017-18

सतना दिनांक :- 13/03/18

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

1.आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय म.प्र. भोपाल ।
2.कलेक्टर जिला सतना।
3.जिला शिक्षा अधिकारी जिला सतना। की ओर भेजकर लेख है कि संबंधीजन को आदेश तामील कराया जाकर पावती अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में शीघ्र प्रस्तुत करे ।
4.जिला कोषालय अधिकारी/उपकोषालय अधिकारी जिला सतना।
5 संकुल प्राचार्य शा0उ0मा0 वि0 .... जिला सतना ;
6.विकास खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड सोहावल जिला सतना ।
7.संबंधीजन । श्री धनश्याम दास वर्मा प्र0 प्राचार्य (वरिष्ठ अध्यापक) शा0उ0मा0वि0 सिजहटा जिला सतना।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत सतना (म.प्र)

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)